Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तत्काल/तिथिबद्ध
सेवा में,

सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी (हरियाणा राज्य में)।

यादि क्रमांकः T-4/PMS/SC/2015-16/ 9126

दिनांकः 26/9/16

विषयः-- जिले में स्थित प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पी०एम०एस० के तहत छात्रवृति प्रदान करने हेतु विद्यार्थियों की बायोमैट्रिक हाजरी उपलब्ध न करवाने बारे।

....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको निर्देश दिए जाते है कि आपके जिले में स्थित सभी प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृति की अदायगी हेतु जिन प्राईवेट संस्थानों ने भविष्य के लिए अपने जिले के नोडल अधिकारी को यह लिख कर आश्वासन दिया है कि छात्रवृति के पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों की हाजरी बायोमैट्रिक मशीन पर लगवा दी जायेगी और उसकी बायोमैट्रिक हाजरी उपलब्ध करवा दी जायेगी। उन संस्थानों के छात्र/छात्राओं की छात्रवृति की अदायगी करवाना सूनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानचार्यो को निर्देश दिये जाते है कि वर्ष 2015–16 में दाखिल द्वितीय वर्ष के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं व वर्ष 2016–17 में दाखिल अनुसूचित जाति के छात्र/छात्रा जो छात्रवृति के पात्र हों उनकी हाजरी जब तक निदेशक, अनुसूचित जातियां एंव पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा से बायोमैट्रिक मशीन पर हाजरी लगाने के लिए आधार अनेबलड पोर्टल उपलब्ध नही हो जाता तब तक सभी संस्थानों में पहले से उपलब्ध विना आधार अनेबलड बायोमैट्रिक मशीन पर ही छात्रवृति के पात्र अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की हाजरी बायोमैट्रिक मशीन पर लगवाना सूनिश्चित करेंगे तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जिन आधार अनेबलड बायोमैट्रिक मशीनों पर अधिकारी/कर्मचारियों की हाजरी लगाई जाती है उन मशीनों पर छात्रवृति के पात्र अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की हाजरी ना लगाई जाऐ।

नोटः– सभी प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (हरियाणा राज्य में) के प्रधानचार्यो को निर्देश दिये जाते है कि वह अपने–2 संस्थानों में बायोमैट्रिक मशीनें लगवाऐं तथा छात्रवृति के पात्र अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की हाजरी लगवाना सूनिश्चित करें।

Manoj Saini 27/9/16
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–I)
कृतेः निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ० क्रमांक T-4/PMS/SC/2015-16/ 9127
दिनांक 26/9/16

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।
2. संयुक्त निदेशक (योजना)।
3. संयुक्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आई०टी०आई०टी०, रोहतक, सभी प्रधानाचार्य/ वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज /वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (हरियाणा राज्य में) उक्त अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. उप–निदेशक (प्रशिक्षण–IV) प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त पत्र अनुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
5. नोडल अधिकारी बैवसाईट (मुख्यालय) वबैसाईट पर डालने हेतु भेजी जाती है।
6. सैन्ट्रल डी०डी०ओ०/नोडल अधिकारी, पी०एम०एस० एवं उप निदेशक (लेखा) मुख्यालय पर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैथल के पत्र क० 2293–94 दिनांक 2.9.2016 के सन्दर्भ में।

Manoj Saini 27/9/16
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–I)
कृतेः निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।